उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-30/2015/सीपी 542/84-2-2015-सीपी 2/2009

लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1-क) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित व्यक्ति को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं :-

अनुसूची

क्र0सं0	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्त व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4
1	श्री महेश चन्द्र पुत्र स्व श्री राम चन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), 01 प्रोफेसर्स कालोनी, विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001	15.01.1952	सदस्य (पूर्णकालिक)

2. राज्य आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त उपर्युक्त सदस्य उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (यथा संशोधित) के नियम 6(1)(क) एवं 6(1)(ग) में प्रावधानित मानदेय एवं मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा शासनादेशानुसार वाहन भत्ता भी प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या - 30/सीपी 542(1)/84-2-2015-सीपी 2/2009 तद् दिनांक

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या - 30/सीपी 542(2)/84-2-2015-सीपी 2/2009 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया उपर्युक्त नियुक्त राज्य आयोग के गैर न्यायिक सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में प्रावधानित परिवचन प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(4) जिलाधिकारी, मेरठ/लखनऊ।

(5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(9) श्री महेश चन्द्र पुत्र स्व श्री राम चन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), 01 प्रोफेसर्स कालोनी, विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001 (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।

(10) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)

(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।